भारत सरकार
केंद्रीय लोक निर्माण-भवन
अधीक्षण अभियंता का कार्यालय,
निर्माण भवन, सिद्धार्थ नगर,
मैसूर – 570011,
फ़ोन : 0821 -2473358, 2473648
फैक्स : 0821-2473539
ईमेल- : secpwdmycc@yahoo.co.in

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS
DEPARTMENT
OFFICE OF THE SUPERINTENDING
ENGINEER, Nirman Bhavan,
Siddarthanagar,
Mysuru- 570011
Ph : 0821-2473358, 2473648
Fax : 0821-2473539
Email : secpwdmycc@yahoo.co.in

227

फाइल संख्या: 12(1)/अ.अ./मैसूर/2022-23/ (हि)819(H) दिनांक: 17/11/2022

सेवा में
कार्यपालक अभियंता (मु.)
उपर महानिदेशक (क्षेत्र बेंगलूरु) का कार्यालय
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
केंद्रीय सदन, बेंगलूरु।

विषय: हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषा में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ: आपके कार्यालय के पत्र संख्या: 7(07)/अमनि-क्षे.बें./2019/2761(हिं)दिनांक: 07/11/2022

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि महानिदेशालय, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन संख्या 21/01/2022- हिन्दी दिनांक: 07.11.2022 के अनुसार अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मैसूर के कार्यालय में पहले से ही राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन किया जा रहा है। इस कार्यालय के सभी बोर्ड एवं नामपट्ट में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जनता कि सूचना के लिए उपलब्ध है।
कृपया यह आपके सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

धन्यवाद।
संलग्न: नामपट्ट एवं बोर्ड का छवि प्रति।

वी - श्रीनिवास
अधीक्षण अभियंता
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, मैसूर

कार्यालय प्रति

on 17/11/2022 @ 4:28 pm

by E mail only

228

आज़ादी का अमृत महोत्सव

ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ
ಕೇಂದ್ರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಹಾನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಚೇರಿ
ಬೆಂಗಳೂರು
'ಬ' ವಿಂಗ್, 9 ನೇ ಮಹಡಿ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸದನ
ಕೋರಮಂಗಲ, ಬೆಂಗಳೂರು ೫೬೦೦೩೪

भारत सरकार
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
अपर महानिदेशककार्यालय (बें.)
केन्द्रीय सदन,
कोरमंगला - बेंगलूरु ,560 034
फोन-2552 ,6659फैक्स-2552 4948

GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT
O/O ADDITIONAL DIRECTOR GENERAL (B)
KENDRIYA SADAN,
KORAMANGALA, BENGALURU-560 034
Phone : 2552 6659Fax : 2552 4948

सं./No. 7(07)/अमनि-क्षे.बें./2019/ 2761 (3) दिनांक/Date 07.11.2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषा में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में, महानिदेशालय से प्राप्त कार्यालय ज्ञापन सं. सं. 21/01/2022-हिंदी दिनांक 29.09.2022 का संदर्भ ग्रहण करें (प्रतिलिपि संलग्न)।

उक्त कार्यालय ज्ञापन में यह सूचित किया गया है कि राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा- निर्देशों के अनुसार, हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात् 'ख' और 'ग' स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्ड, नामपट्ट आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग जनता की सूचना के लिए किया जाए।

अत: सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध हैं कि वे अपने तथा अपने अधीनस्थ कार्यालयों में त्रि-भाषा के संबंध में उपर्युक्त दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को 10 नवंबर, 2022 तक इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि महानिदेशालय को इससे अवगत कराया जा सके।

संलग्नक : यथोक्त

7.11.22

(सुरेश एस)
कार्यपालक अभियंता(यु.),
अपर महानिदेशक(बेंगलूरु) कार्यालय.

सेवा में
अपर महानिदेशक(बें.) के अधीनस्थ सभी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग।

संसदीय मामला

अति महत्वपूर्ण

फा सं 21/01/2022-हिन्दी

महानिदेशालय

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 29 सितंबर, 2022

कार्यालय ज्ञापन

विषय: हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं के बारे में सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय से प्राप्त संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय, राज भाषा विभाग का दिनांक 6 सितम्बर 2022 का अर्ध सरकारी पत्र संख्या 14013/04/2022- रा.भा. (नीति) तथा गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग के दिनांक 22.6.2022 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का संदर्भ ग्रहण करें(प्रतिलिपि संलग्न)।

उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में यह उल्लेख किया गया है कि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के कार्यालयों द्वारा जनता की सूचना के लिए लगाए जाने वाले बोर्ड, नामपट्ट आदि में प्रादेशिक भाषाओं का प्रयोग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार, हिंदीतर भाषी राज्यों अर्थात 'ख' और 'ग' स्थित क्षेत्रों में केंद्र सरकार के कार्यालयों में बोर्डों, नामपट्टों आदि में क्रमवार क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जनता की सूचना के लिए किया जाए।

अत: महानिदेशालय के प्रशासनिक नियत्रणाधीन 'ख' और 'ग' राज्यों में स्थित सभी कार्यालय प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने कार्यालय में त्रि-भाषा के संबंध में उपर्युक्त दिशा-निर्देश का पालन करें और साथ ही अपने अधीनस्थ कार्यालयों में इसका अनुपालन सुनिश्चित करवायें। इस संबंध में की गई कार्रवाई की सूचना इस कार्यालय को 14 अक्टूबर 2022 तक भेजना सुनिश्चित करें ताकि मंत्रालय को इससे अवगत कराया जा सके।

संलग्नक: यथोक्त

हरीश

(हरीश कुमार)
उप महानिदेशक (निर्माण)
दूरभाष: 01230615O6

सेवा में,
सभी विशेष महानिदेशक,
अपर महानिदेशक,
मुख्य अभियंता,
मुख्य अभियंता एवं कार्यकारी निदेशक एवं
मुख्य वास्तुक

Goutham Ganesh M H



ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

ಕೇಂದ್ರೀಯ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ



ಪರಿಯೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರ ಕಛೇರಿ

ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ. ಸುರತ್ಕಲ್ ಪರಿಯೋಜನ ಪರಿಮಂಡಲ

ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಬೀಚ್ ರೋಡ್, ಎನ್.ಐ.ಟಿ.ಕೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಪರಿಸರ

ಸುರತ್ಕಲ್, ಮಂಗಳೂರು - ೫೭೪ ೧೪೬

भारत सरकार

केंद्रीय लोक निर्माण विभाग

परियोजना प्रबंधक का कार्यालय

एन आई टी के सुरत्कल परियोजना परिमंडल

योगक्षेम बिल्डिंग, बीच रोड, एन आई टी के पश्चिम परिसर

सुरत्कल, मंगलूरु - ५७४१४६

Government of India

Central Public Works Department

Office of the Project Manager

NITK Surathkal Project Circle

Yogakshema Building, Beach Road, NITK Western Campus,

Surathkal, Mangalore - 574 146

ಕೇಂದ್ರೀಯ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಭಾಗದ
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT

CPWD

ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ- ನವ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಾಣ
भ्रष्टाचार मिटाओ – नया भारत बना ओ
Eradicate Corruption - Build a New India

ಸೂಚನೆ / NOTICE / सूचना

ಲಂಚವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಡಿ, ಈ ಕಛೇರಿಯ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಲಂಚಕ್ಕಾಗಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಬಲಿ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಿಗೆ / ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗೆ ನೀವು ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.
ಸೆಂಟ್ರಲ್ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೂರುಗಳು ಅದರ 'ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್' ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಲಿಸಿಯ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಮಿಷನ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ www.cvc.gov.in ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಡೋಮೇನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ದೂರುಗಳನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಕಮಿಷನ್ಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಲಾಡ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು.

कृपया रिश्वत न दें । यदि इस कार्यालय का कोई कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है या आपके पास इस कार्यालय में भ्रष्टाचार की कोई जानकारी है या आप इस कार्यालय में भ्रष्टाचा से प्रमाण पत्र है तो आप इसकी शिकायत विभागाध्यक्ष या मुख्य सतर्कता अधिकारी या पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और सचिव, केंद्रीय सतर्कता आयोग को कर सकते है सभी शिकायते केंद्रीय सतर्कता आयोग की शिकायत निस्तारण नीति के अनुरुप की जाएँ, जो कि सार्वजनिक क्षेत्र मे आयोग की वेबसाइट www.cvc.gov.in पर उपलब्ध है । शिकायतें आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी दर्ज की जा सकती हैं ।

DO NOT PAY BRIBES, IF ANYBODY OF THIS OFFICE ASKS FOR BRIBE OR IF YOU HAVE ANY INFORMATION ON CORRUPTION IN THIS OFFICE OR IF YOU ARE A VICTIM OF CORRUPTION IN THE OFFICE, YOU CAN COMPLAIN TO THE HEAD OF THIS DEPARTMENT, OR THE CHIEF VIGILANCE OFFICER / THE SUPERINTENDENT OF POLICE, CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION AND THE SECRETARY, CENTRAL VIGILANCE COMMISSION.

All complaints to the Central Vigilance Commission may be made in terms of its 'Complaint Handling Policy' which is available in public domain on the Commission's website i.e. www.cvc.gov.in Complaints can also be lodge online Commission's website.